न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी
18/7/23	अधिवक्तागण उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। दोनो पक्षो की पक्षधान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २०/०७/२०२३ को पेश हो।	गुरजीत सिंह, सुरेन्द्र, गुरमीत, जगदीश, जसजीत, गुरविन्द्र
२०/7/23	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर बाद तकमील से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।	पद्मावती

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:42 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सुरजीत सिंह बनाम माया बाई आदि
धारा अन्तर्गत 88,53,188,91 आरटीए
मुकदमा नम्बर 37/2022
निर्णय दिनांक :- 20.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा व प्रतिवादी अधिवक्ता सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में वादी सुरजीत सिंह पुत्र फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 माया बाई पत्नी फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीत सिंह पुत्र फूल सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1454	**00**	योग	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/ ५२२
दिनांकः 01/08/2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 37/2022

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. सुरजीत सिंह पुत्र फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. माया बाई पत्नी फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 47 एफ हाल आबाद 44 पीएस समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर 2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 47 एफ हाल आबाद 44 पीएस समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर। 3. गुरमीत सिंह पुत्र फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 47 एफ हाल आबाद 44 पीएस समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर 4. गुरमीत कौर पुत्री फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 44 पीएस समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर 5. जोगेन्द्रो बाई पुत्री फूल सिंह जाति रायसिख निवासी 44 पीएस समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर 6. परमजीत कौर पुत्री फूल सिंह जाति रायसिख निवासी चक 4 केवी तहसील अनूपगढ। 7. गुरविन्द्र कौर पुत्री फूल सिंह जाति रायसिख निवासी दुल्लापुर कैरी तहसील श्रीगंगानगर। 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 14.03.2022

उपस्थित: 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक: 20.07.2023

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता फूल सिंह की मृत्यू हो चुकी है। फूल सिंह की मृत्यू के पश्चात वादी को विरास्तन उक्त कृषि भूमि में 0.170 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। फूल सिंह की मृत्यू के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण ने फूल सिंह के नाम दर्ज तमाम चल व अचल सम्पति का आपस में घरेलू बंटवारा कर लिया था। घरेलू बंटवारा में फूल सिंह के नाम दर्ज कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से वादी को मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 25 में 0.170 हैक्टेयर बंटवारानामा में प्राप्त हुई है। घरेलू बंटवारा के रोज से ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बेरोकटोक शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि फूल सिंह के नाम दर्ज उक्त 1.366 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर उक्त भूमि को घरेलू बंटवारानामा के अनुसार अलग -अलग खाता विभाजन करवा लेवे, लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टाल-मटोल करते रहे है और कहते रहे कि जल्द ही उक्त भूमि का घरेलू बंटवारानामा के अनुसार अलग-अलग खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा लेगे। आज से 10 रोज पूर्व वादी , प्रतिवादीगण से मिला और फूल सिंह के नाम दर्ज उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhas Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:42
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

1.366 हैक्टेयर भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाकर, घरेलू बंटवारा अनुसार खाता अलग-अलग विभाजित करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हमउ क्त भूमि का मुश्तर्का होने के कारण उक्त भूमि में से अच्छी-अच्छी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर देगे और समस्त भूमि का कब्जा उसे सुपूर्द कर देगे। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से घरू बंटवारानामा के अनुसार वादी को प्राप्त मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 25 की 0.170 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा काउन्टर क्लेम में अर्ज किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जावे।

वादी सुरजीत सिंह व प्रतिवादीगण माया बाई, सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, गुरमीत कौर, जोगेन्द्रो उर्फ जसवीर कौर, परमजीत कौर, गुरविन्द्र कौर ने न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनो पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा में अर्ज किया है कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि दोनो पक्षों के पति/पिता फूल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। फूल सिंह की मृत्यू हो चुकी है। प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष से घरू पंचायत में राजीनामा हो गया है। राजीनामा मुताबिक द्वितीय पक्ष गुरमीत कौर, जोगेन्द्रो उर्फ जसवीर कौर, परमजीत कौर, गुरविन्द्र कौर ने अपना-अपना 0.170 हैक्टेयर हिस्सा यानि कुल 0.680 हैक्टेयर प्रथम पक्ष सुरजीत सिंह, माया बाई, सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह के हक में त्याग दिया है। यदि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से प्रथम पक्ष सुरजीत सिंह, माया बाई, सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह प्रत्येक को 0.340 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। राजीनामा मुताबिक द्वितीय पक्ष गुरमीत कौर, जोगेन्द्रो उर्फ जसवीर कौर, परमजीत कौर, गुरविन्द्र कौर द्वारा चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से अपना-अपना 0.170 हैक्टेयर हिस्सा प्रथम पक्ष सुरजीत सिंह, माया बाई, सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह के हक में त्याग दिया है। अतः मृतक फूल सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम दर्ज चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में से प्रथम पक्ष सुरजीत सिंह, माया बाई, सुरेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:42
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सुरजीत सिंह बनाम माया बाई आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आरटीए
प्रकरण संख्या 37/2022

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 51/48 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 1.366 हैक्टेयर भूमि में वादी सुरजीत सिंह पुत्र फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 माया बाई पत्नी फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीत सिंह पुत्र फूल सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:44:42 IS
Reason: SelfAttested